UPKU010062522025

न्यायालय–विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर – 04, कुशीनगर, स्थान–पड़रौना।

पीठासीन अधिकारी– (शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)– **उच्चतर न्यायिक सेवा–** UP3838

सत्र केस संख्या**– 1648/2025**

उत्तर प्रदेश सरकार — बनाम– कृष्ण मणि तिवारी उर्फ बबलू तिवारी

मु०अप०सं०– 565/2021,

धारा– 135 भारतीय विद्युत अधिनियम

थाना–एण्टी पॉवर थेफ्ट, जिला–कुशीनगर।

14.03.2026–

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में प्रस्तुत हुई। कार्यालय अधीशासी अभियन्ता, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत वितरण खण्ड, हाटा कुशीनगर के पत्रांक संख्या– 871 वि०वि०ख०हा०/(कु०)/2025–26 दिनांक — 18.02.2026 के अनुसार भी स्पष्ट है, कि राजस्व निर्धारण धनराशि रूपये – 205069.00 के सापेक्ष पंजीकृत शुल्क जमा की गयी धनराशि रूपये – 20507.00/– रसीद संख्या– 349075385396 दिनांक – 03.02.2026 व धनराशि 38845/– रूपये रसीद संख्या – 349306177781 व रसीद संख्या – 349289963311 शमन शुल्क साहित कुल धनराशि 58436/– रूपये दिनांक – 05.02.2026 को शमन शुल्क जमा कर दिया है। वादी मुकदमा ने इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अभियुक्त द्वारा शमन व राजस्व जमा किया जा चुका है। विद्युत विभाग के अधिवक्ता ने मुकदमें को समाप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में मुकदमा समाप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित वाद को समाप्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश विद्युत/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०– 04
कुशीनगर, स्थान–पड़रौना।

Digitally signed by SHAILENDRA MANI TRIPATHI
Date: 2026.03.14 17:06:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court